उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 652 /3-2 बजट (CAT Plan)/25-26 दिनांक 02 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक/उपनिदेशक तथा
क्रियान्वयन अभिकरण, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–02 जल ग्रहण शोध योजना कैम्पा कैट प्लान" मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–318/3–5 दिनांक 01 दिसम्बर, 2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदर्भित पत्र से वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2406–04–103–03–02 जल ग्रहण शोध योजना कैट प्लान मद के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 13.7617 करोड़ की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजना में उक्त आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य मुख्य वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, देहरादून के पत्रांक–1/225210/2025 दिनांक 12.11.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुसार संपादित किये जाने है। इन आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025, पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 एवं पत्रांक NA-15/4/2020-NA दिनांक 12.11.2025 (ई–मेल की दिनाक) ***(कैम्पा वेबसाईड में अपलोड)*** व शासकीय पत्रांक–2048/X-2-2025-12(31) 2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025 एवं शासकीय पत्रांक–2197/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 19.09.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
3. कैम्पा के कार्यो में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
4. अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 शासकीय पत्र संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13 अगस्त 2025 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों व समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
6. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।
7. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम,1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
9. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
10. कार्यो का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
11. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
12. सभी स्थलीय कार्यो (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

13. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

14. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
15. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 652 (1) /3-2 बजट (CAT Plan)/ 25-26 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. मुख्य वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक–1/225210/2025 दिनांक 12.11.2025 के क्रम में।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 652 (2) /3-2 बजट (CAT Plan)/ 25-26 दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नक–1

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	कैट प्लान का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण का नाम	भौतिक लक्ष्य	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	CAT Plan	CAT Lohari-Nagpala HEP	DFO Uttarkashi	मुख्य वन संरक्षक, परियोजनाऐं एवं सामुदायिक वानिकी के पत्रांक 1/225210/2025 दिनांक 12–11–2025 के अनुसार	74.42
2			DFO Soil Cons. Uttarkashi		22.49
3			TEHRI DAM-2		22.49
4		CAT Song HEP	DFO Mussoorie		406.19
5			DFO Narendra Nagar		696.61
6			DFO Dehradun		153.97
		Total			1376.17

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।

संख्याः 318/3–5 (कैम्पा–जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान)

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 01 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग की अनुदान सं0–27 के लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–02–जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान" के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1.शासनादेश संख्या–**2048/X-2-2025-12(31)2025(E-74356)** दिनांक 30 जून, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25060270012 दिनांक 30.06.2025 – आवंटित बजट ₹17,50,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2.शासनादेश संख्या–**2197/X-2-2025-12(31)2025(E-87865)** दिनांक 19 सितम्बर, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25090270005 दिनांक 19.09.2025 – आवंटित बजट ₹17,50,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–02–**जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान**" योजनान्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 35,00,00,000/–(₹ **पैंतीस करोड़ मात्र**) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी बजट ₹21,23,83,000/–(₹ **इक्कीस करोड़ तेईस लाख तिरासी हजार मात्र**) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा **वर्तमान में** अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 13,76,17,000/–(₹ **तेरह करोड़ छिहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र**) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या– **NA-15/4/2020-NA** दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्या– **NA-15/4/2020-NA** दिनांक 30.07.2025 **द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जाए।**
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाए।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/9(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

–2/–

6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 एवं मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालयं (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
HEMENDERA PRAKASH GANGWAR
Date: 01-12-2025 12:26:42

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्या: 318 / 3–5 (कैम्पा–जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान) तद्दिनांकित।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को **IFMS** पोर्टल से ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बजट को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-29/Nov/2025 03:37 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid

Digitally Signed.
Name: Mr Hemant Kumar Prakash Gangwar
Date: 29-Nov-2025 15:38:58
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HOFF)
Treasury-Mussoorie(0102)
DDO-DFO Musoori Forest Division Musoori(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-318/3-5

आवंटन आई डी - H25110270010

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 28-NOV-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	63571000	40619000	11572489	104190000
	योग	63571000	40619000	11572489	104190000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 4,06,19,000 (Rupees Four Crores Six Lacs Nineteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2511:0010

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-29/Nov/2025 03:37 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr [illegible] Prakash Gangwar
Date: 2[illegible]-Nov-[illegible]:58:58
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest ([illegible])
Treasury-Uttarkashi(4100)
DDO-DFO Uttarhashi Forest DivisionUttarkashi(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-318/3-5

आवंटन आई डी - H25110270011

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 28-NOV-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**04**	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	**03**	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	7442000	0	7442000
	योग	0	7442000	0	7442000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 74,42,000 (Rupees Seventy Four Lacs Forty Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2511:0011

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-29/Nov/2025 03:39 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Hem Chandra Prakash Gangwar
Date: 29-Nov-2025 11:06
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Uttarkashi(4100)
DDO-DFO Soil Conservation Forest (4255)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-318/3-5

आवंटन आई डी - H25110270012

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 28-NOV-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**04**	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	**03**	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2249000	0	2249000
	योग	0	2249000	0	2249000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 22,49,000 (Rupees Twenty Two Lacs Forty Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2511:0012

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-29/Nov/2025 03:39 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid

Digitally Signed.
Name: Mr Hem Chandra Prakash Gangwar
Date: 29-Nov-2025 11:46
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HOD)
Treasury-Uttarkashi(4100)
DDO-DFO Tehri Dam IInd DivisionUttarkashi(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-318/3-5

आवंटन आई डी - H25110270013

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 28-NOV-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**04**	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	**03**	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2249000	0	2249000
	योग	0	2249000	0	2249000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 22,49,000 (Rupees Twenty Two Lacs Forty Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2511:0013

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-29/Nov/2025 03:43 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr [illegible] Prakash Gangwar
Date: 29-Nov-2025 [illegible]
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Narendra Nagar(3900)
DDO-DFO Narendra Nagar Forest DivisionNarendra Nagar(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-318/3-5 आवंटन आई डी - H25110270014

अनुदान संख्या - 027 आवंटन पत्र दिनांक - 28-NOV-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	69661000	0	69661000
	योग	0	69661000	0	69661000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 6,96,61,000 (Rupees Six Crores Ninety Six Lacs Sixty One Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2511:0014

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-29/Nov/2025 03:43 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr [illegible] Prakash Gangwar
Date: 29-Nov-2025 [illegible]
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-DFO Dehradun Forest DivisionDehradun(4257)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-318/3-5

आवंटन आई डी - H25110270015

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 28-NOV-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**04**	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	**03**	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	15397000	0	15397000
	योग	0	15397000	0	15397000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,53,97,000 (Rupees One Crore Fifty Three Lacs Ninety Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2511:0015

Approval Status : e-Sign letter

उत्तराखण्ड कैम्पा
पंजी करण संख्या 1315
दिनांक 13/11/25
पत्रावली सं०
शाखा SO/Admin

I/225210/2025

Email id:-pccfproject-forest-uk@nic.in

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- I/225210/2025 देहरादून, दिनांक ई-हस्ताक्षर के अनुसार।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2406-04-103-03-02 जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना (CAT Plan) के अन्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रभागों में संचालित विभिन्न कैट प्लानों के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रभागों/क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा का पत्रांक- 504/3-2/2025-26/CAT Plan दिनांक 20.09.2025, इस कार्यालय का पत्रांक-146/3-2 दिनांक 24.09.2025, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल का पत्रांक- 1129/3-19 दिनांक 03.11.2025 एवं पत्रांक-1130/3-19 दिनांक 03.11.2025।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से कैट प्लान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखण्ड शासन से अवमुक्त द्वितीय किस्त ₹ 17.50 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित वन प्रभाग/पी0एम0यू0 को आवंटन हेतु भौतिक-वित्तीय लक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया था। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा ₹ 17.50 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष (लखवाड़, जमरानी एवं खुटानी कैट प्लान तथा पी0एम0यू0 अन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयों के आवंटन के लिये) ₹ 3.7383 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था।

विदित है कि सौंग पेयजल परियोजना एवं लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के रेस्टोरेशन प्लान की डी0पी0आर0 नोडल वन प्रभागों द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के निर्देशन में तैयार की जा रही है। सौंग पेयजल परियोजना के कैट प्लान एवं लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के रेस्टोरेशन प्लान की डी0पी0आर0 तैयार करने एवं कैट प्लान के क्रियान्वयन हेतु नर्सरी में पौध उगान तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के सापेक्ष सम्बन्धित वन प्रभागों को बजट आवंटन किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के स्तर से सन्दर्भित पत्रों द्वारा भौतिक-वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त कैट प्लान/रेस्टोरेशन प्लान के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण वन प्रभागों को धनराशि आवंटन करने के सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति निम्नानुसार है :-

सौंग पेयजल परियोजना के कैट प्लान की अवधि वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक है। उक्त कैट प्लान की डी0पी0आर0 नोडल वन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के निर्देशन में तैयार की जा रही है। कैट प्लान की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने सम्बन्ध में पत्रांक-I/198876/2025 दिनांक 07.08.2025 एवं पत्रांक- I/205356/2025 दिनांक 29.08.2025 द्वारा वन संरक्षक,

भागीरथी वृत्त को पत्र प्रेषित किये गये। कैट प्लान की डी0पी0आर0 समय से उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु दिनांक 06.10.2025 को मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, सम्बन्धित वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में डी0पी0आर0 की समीक्षा उपरान्त सम्बन्धित वन संरक्षक/नोडल वन प्रभाग को 15 दिनों में डी0पी0आर0 तैयार कराकर स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्धारित समयान्तर्गत डी0पी0आर0 प्रस्तुत न करने के कारण वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को पत्रांक– 216/3–19 दिनांक 03.11.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के माध्यम से तत्काल डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। सौंग पेयजल परियोजना के कैट प्लान की वर्ष 2025–26 की स्वीकृत कार्ययोजना की धनराशि ₹ 23.89 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के द्वारा सन्दर्भित पत्र से ₹ 15.72 करोड़ की धनराशि के अवमुक्त का भौतिक–वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के निकट समापन एवं उक्त प्रस्ताव को डी0पी0आर0 में सम्मिलित करने के दृष्टिगत उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव डी0पी0आर0 स्वीकृति की प्रत्याशा में (परियोजना की तैयारी के अन्तर्गत डी0पी0आर0 की तैयारी, वृक्षारोपण हेतु पौध उगान एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु भौतिक–वित्तीय प्रस्ताव) संस्तुति सहित निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र0सं0	कैट प्लान का नाम	वन प्रभाग का नाम	घटक का नाम	कार्यमद	धनराशि लाख में
1	सौंग पेयजल परियोजना	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	प्रशासकीय	उपकरण एवं आपूर्ति, वन कर्मियों को परियोजना भत्ता एवं मानदेय, वाहनों हेतु ईंधन, पुराने स्टाफ क्वाटर मरम्मत एवं कार्यालय व्यय आदि	55.73
			तैयारी फेज	डी0पी0आर0 तैयार करना	24.91
			कार्य फेज	नर्सरी की स्थापना/विकास, अग्रिम मृदा कार्य, अभियांत्रिकी उपचार आदि	931.33
		योग			1011.97
		मसूरी वन प्रभाग	प्रशासकीय	उपकरण एवं आपूर्ति, वन कर्मियों को परियोजना भत्ता एवं मानदेय, वाहनों हेतु ईंधन, पुराने स्टाफ क्वाटर मरम्मत एवं कार्यालय व्यय आदि	23.39
			कार्य फेज	नर्सरी की स्थापना/विकास, अग्रिम मृदा कार्य, अभियांत्रिकी उपचार आदि	382.8
		योग			406.19
		देहरादून वन प्रभाग	प्रशासकीय	उपकरण एवं आपूर्ति, वन कर्मियों को परियोजना भत्ता एवं मानदेय, वाहनों हेतु ईंधन, पुराने स्टाफ क्वाटर मरम्मत एवं कार्यालय व्यय आदि	9.54
			कार्य फेज	नर्सरी की स्थापना/विकास, अग्रिम मृदा कार्य, अभियांत्रिकी उपचार आदि	144.43
		योग			153.97
योग					1572.13

लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के रेस्टोरेशन प्लान की अवधि वर्ष 2025–26 से वर्ष 2029–30 तक है। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के रेस्टोरेशन प्लान को भागीरथी ईको सेंसेटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा स्वीकृत किया जाना है। दिनांक 30.09.2025 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष संचालन समिति उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आहूत बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के रेस्टोरेशन प्लान को भागीरथी ईको सेंसेटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में रेस्टोरेशन प्लान की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त रिस्टोरेशन प्लान की डी0पी0आर0 नोडल वन प्रभाग उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के निर्देशन में तैयार की जा रही है। रिस्टोरेशन प्लान की डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु दिनांक 06.10.2025 को मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, सम्बन्धित वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के समापन हेतु 6 माह से कम समय होने के दृष्टिगत रिस्टोरेशन प्लान की डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित किया गया। रिस्टोरेशन प्लान की वर्ष 2025–26 की स्वीकृत कार्ययोजना की धनराशि ₹ 8.30 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के द्वारा सन्दर्भित पत्र से ₹ 1.19 करोड़ की धनराशि के अवमुक्त का भौतिक–वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के निकट समापन एवं उक्त प्रस्ताव को डी0पी0आर0 में सम्मिलित करने के दृष्टिगत उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव डी0पी0आर0 स्वीकृति की प्रत्याशा में (परियोजना की तैयारी के अन्तर्गत डी0पी0आर0 की तैयारी, वृक्षारोपण हेतु पौध उगान एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु भौतिक–वित्तीय प्रस्ताव) संस्तुति सहित निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र0सं0	कैट प्लान का नाम	वन प्रभाग का नाम	घटक का नाम	कार्यमद	धनराशि लाख में
1	लोहारी नागपाला जल वि0 परि0 (रेस्टोरेशन प्लान)	उत्तरकाशी वन प्रभाग	प्रशासकीय	कार्यालय व्यय आदि	0.50
			तैयारी फेज	डी0पी0आर0 तैयार करना	15.50
			कार्य फेज	नर्सरी की स्थापना/विकास एवं पौध उगान कार्य	58.42
		योग			74.42
		भू0सं0 वन प्रभाग, उत्तरकाशी	प्रशासकीय	कार्यालय व्यय आदि	0.50
			कार्य फेज	नर्सरी की स्थापना/विकास एवं पौध उगान कार्य	21.99
		योग			22.49
		टिहरी डैम–2 वन प्रभाग, उत्तरकाशी	प्रशासकीय	कार्यालय व्यय आदि	0.50
			कार्य फेज	नर्सरी की स्थापना/विकास एवं पौध उगान कार्य	21.99
		योग			22.49
योग					119.40

कृपया उत्तराखण्ड शासन के स्तर से अवमुक्त द्वितीय किस्त की धनराशि ₹ 17.50 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 13.7617 करोड़ के आवंटन हेतु कुल ₹ 16.92 करोड़ की धनराशि का भौतिक–वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत है। उक्त प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष कार्यों की महत्ता व वित्तीय वर्ष समाप्ति हेतु अल्पावधि के दृष्टिगत कृपया उक्तानुसार प्रस्तावित धनराशि को सम्बन्धित वन प्रभागों को आवंटित करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
Sushanta Kumar Pattnaik
Date: 12-11-2025
14:37:48

मुख्य वन संरक्षक,
परियोजनायें एंव सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम–2 वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

मुख्य वन संरक्षक,
परियोजनायें एंव सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।